प्रेषक, ~~सहायक आयुक्त(औषधि)~~

By mail

प्रेषक,

सहायक आयुक्त(औषधि),
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,

उपायुक्त(औषधि),
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।

पत्रांक –1571/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आख्या/2025–26 दिनांक :19/01/2026

विषयः– श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायत पंजीकरण AYUSH/E2025/0001433 कमांक दिनांक–21.12.2025 के संदर्भ में।

महोदया,

विषयक संदर्भ में आपके पत्रांक संख्या–ड्रग/8818/भाग–1/44 दिनांक–05.01.2026 के कम में सादर अवगत कराना है कि वर्णित शिकायत आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भी शिकायत संदर्भ संख्या–60000250295437 प्राप्त हुयी थी, जिसमें श्री आशुतोष कुमार चौबे औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा वर्णित शिकायती तीनों प्रतिष्ठानों की जॉच दिनांक–12.12.2025 को की गयी। निरीक्षण आख्याएं दिनांक–17.12.2025 को अधोहस्ताक्षरी को नियम–66 की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसमें निरीक्षण के समय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियम–66 के अन्तर्गत वर्णित तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स–श्री राम मेडिकल एजेन्सीज, ठठेरी गली, पेड़ा गली, देवरिया, मेसर्स–केजरीवाल मेडिकल एजेन्सीज, बुद्धा शापिंग काम्पलेक्स, नगर पालिका रोड, देवरिया एवं मेसर्स–भारत मेडिकल एजेन्सी, नगर पालिका रोड, देवरिया को दिनांक–18.12.2025 को नोटिस निर्गत किये गयें।

उक्त तीनों फर्मों द्वारा अपने प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।

औषधि निरीक्षक देवरिया द्वारा अपनी आख्या दिनांक–16.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय सम्बन्धित फर्मों द्वारा शिकायत की गयी औषधियों के अवैध व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलें।

औषधि निरीक्षक देवरिया की उपलब्ध आख्या, तीनों फर्मों के प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निरीक्षण के समय फर्मों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेंसो की शर्तों का उल्लंघन पाया गया अतः निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों/अनियमितताओं (लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन) के कारण तीनों फर्मो के लाइसेंसो को दिनांक–17.01.2026 को 07–07 दिवस के लिये निलम्बित किया गया, साथ ही कोडिन युक्त औषधियों के कय–विकय एवं भण्डारण (व्यापार) की अनुमति(लाइसेंस) को भी व्यापक जनहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

शिकायतकर्ता श्री निर्मल त्रिपाठी के मोबाइल नम्बर–9307708498 पर काल किये जाने पर इनकंमिग काल सुविधा न होने के कारण काल नहीं हो सकी, शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर वर्णित दूसरे मोबाइल नम्बर 8423414652 पर काल किये जाने पर सम्पर्क कर कृत कार्यवाही से अवगत अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी एवं कहॉ गया कि शिकायत को निस्तारित कर दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भविष्य में कोई शिकायत होगी तो मै बगैर आई0जी0आर0एस0 के आपको फोन पर अवगत करा दूंगा, जिसपर उन्हे पूर्ण आशवासन दिया गया।

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या–60000250295437 की निस्तारण आख्या आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ को पत्रांक संख्या–1570/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आई0जी0आर0एस0शि0/2025–26 दिनांक–19.01.2026 प्रेषित की गयी है।

अतः निवेदन है कि विषयांकित शिकायत पंजीकरण कमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक–21.12.2025 को निस्तारित/निक्षेपित करने की कृपा करें।

आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,
19/01/2026
(पूरण चन्द्र)
सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अवर सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय(औषधि निति अनुभाग) एनबीसीसी कार्यालय, ब्लाक–III (दूसरी मंजिल) पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 को सादर हेतु प्रेषित(पत्र संख्या–T-20011/2/220-DCC-Part(2) Dated-29-12-2025 के अनुपालन में)।
2. अनुभाग अधिकारी (CDM) भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, बी ब्लाक–GPO काम्पलेक्स, आई एन ए, 110023।(Email-ayush-cdn@gov.in)
3. श्री निर्मल त्रिपाठी(शिकायतकर्ता) खोराराम रोड, अमेठी मन्दिर के पीछे, देवरिया, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित। (Email-nirmaltripathi.led@gmail.com)

सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

by mail

प्रेषक,
सहायक आयुक्त(औषधि),
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

सेवा में,
उपायुक्त(औषधि),
कार्यालय आयुक्त,
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0प्र0
सेक्टर–सी, अलीगंज, लखनऊ।

पत्रांक –1571/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आख्या/2025–26 दिनांक : 19/01/2026

विषयः– श्री निर्मल त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश की शिकायत पंजीकरण AYUSH/E2025/0001433 कमांक दिनांक–21.12.2025 के संदर्भ में।

महोदया,

विषयक संदर्भ में आपके पत्रांक संख्या–ड्रग/8818/भाग–1/44 दिनांक–05.01.2026 के कम में सादर अवगत कराना है कि वर्णित शिकायत आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर भी शिकायत संदर्भ संख्या–60000250295437 प्राप्त हुयी थी, जिसमें श्री आशुतोष कुमार चौबे औषधि निरीक्षक, देवरिया द्वारा वर्णित शिकायती तीनों प्रतिष्ठानों की जॉच दिनांक–12.12.2025 को की गयी। निरीक्षण आख्याएं दिनांक–17.12.2025 को अधोहस्ताक्षरी को नियम–66 की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी, जिसमें निरीक्षण के समय औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेस की शर्तों का उल्लंघन पाये जाने के कारण अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियम–66 के अन्तर्गत वर्णित तीनों फर्मों क्रमशः मेसर्स–श्री राम मेडिकल एजेन्सीज, ठठेरी गली, पेड़ा गली, देवरिया, मेसर्स–केजरीवाल मेडिकल एजेन्सीज, बुद्धा शापिंग काम्पलेक्स, नगर पालिका रोड, देवरिया एवं मेसर्स–भारत मेडिकल एजेन्सी, नगर पालिका रोड, देवरिया को दिनांक–18.12.2025 को नोटिस निर्गत किये गयें।

उक्त तीनों फर्मों द्वारा अपने प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये।

औषधि निरीक्षक देवरिया द्वारा अपनी आख्या दिनांक–16.01.2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि निरीक्षण के समय सम्बन्धित फर्मों द्वारा शिकायत की गयी औषधियों के अवैध व्यापार के साक्ष्य नहीं मिलें।

औषधि निरीक्षक देवरिया की उपलब्ध आख्या, तीनों फर्मों के प्रस्तुत स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार निरीक्षण के समय फर्मों पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 में विहित लाइसेंसो की शर्तों का उल्लंघन पाया गया अतः निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों/अनियमितताओं (लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन) के कारण तीनों फर्मो के लाइसेंसो को दिनांक–17.01.2026 को 07–07 दिवस के लिये निलम्बित किया गया, साथ ही कोडिन युक्त औषधियों के कय–विकय एवं भण्डारण (व्यापार) की अनुमति(लाइसेंस) को भी व्यापक जनहित में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया।

शिकायतकर्ता श्री निर्मल त्रिपाठी के मोबाइल नम्बर–9307708498 पर काल किये जाने पर इनकंमिग काल सुविधा न होने के कारण काल नहीं हो सकी, शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र पर वर्णित दूसरे मोबाइल नम्बर 8423414652 पर काल किये जाने पर सम्पर्क कर कृत कार्यवाही से अवगत अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा की गयी कार्यवाही से संतुष्टि व्यक्त की गयी एवं कहॉ गया कि शिकायत को निस्तारित कर दिया जाये मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भविष्य में कोई शिकायत होगी तो मै बगैर आई0जी0आर0एस0 के आपको फोन पर अवगत करा दूंगा, जिसपर उन्हे पूर्ण आश्वासन दिया गया।

आई0जी0आर0एस0 संदर्भ संख्या–60000250295437 की निस्तारण आख्या आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ को पत्रांक संख्या–1570/खा0सु0औ0प्र0गो0म0/आई0जी0आर0एस0शि0/2025–26 दिनांक–19.01.2026 प्रेषित की गयी है।

अतः निवेदन है कि विषयांकित शिकायत पंजीकरण कमांक AYUSH/E2025/0001433 दिनांक–21.12.2025 को निस्तारित/निक्षेपित करने की कृपा करें।

आख्या सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(पूरण चन्द्र)
सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् अवर सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय(औषधि निति अनुभाग) एनबीसीसी कार्यालय, ब्लाक–III (दूसरी मंजिल) पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली–110023 को सादर हेतु प्रेषित(पत्र संख्या–T-20011/2/220-DCC-Part(2) Dated-29-12-2025 के अनुपालन में)।
2. अनुभाग अधिकारी (CDM) भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, बी ब्लाक–GPO काम्पलेक्स, आई एन ए, 110023 I(Email-ayush-cdn@gov.in)
3. श्री निर्मल त्रिपाठी(शिकायतकर्ता) खोराराम रोड, अमेठी मन्दिर के पीछे, देवरिया, उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित। (Email-nirmaltripathi.led@gmail.com)

19/01/2026
सहायक आयुक्त(औषधि)
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।